न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 38/2021 तारीख रजू 05.04.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूँगर ....प्रार्थी

बनाम

1. गिल्लू पुत्र ऊंकार जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर
2. मूली पत्नि गिल्लू जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 18/5/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण गिल्लू पुत्र ऊंकार जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर व मूली पत्नि गिल्लू जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 365 रकबा 1.00 है0 तथा ख0 न0 366 रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी में आदेश दिनांक 06/06/2002 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा ख0न0 365 व 366 कुल रकबा 1.27 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा मौके पर भूमि पर खनन कार्य हो जाने के कारण आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के करण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा ख0[illegible] 366 कुल रकबा 1.27 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी [illegible] रिपोर्ट दिनांक 14.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व कभी आ[illegible] शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा मौके पर भूमि पर खनन कार्य हो जाने के [illegible] आवंटन शर्तो का स्पष्ट [illegible] किया गया है । पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076–79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस कमांक 1078—79 दिनांक 07/04/2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण गिल्लू पुत्र ऊंकार जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर व मूली पत्नि गिल्लू जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर नियत पेशी दिनांक 21/05/2021 को तथा नियत तारीख पेशी के पश्चात 9 अवसर दिये जाने के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा न हीं अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 24/05/2022 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी अप्रार्थीगण गिल्लू पुत्र ऊंकार जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर व मूली पत्नि गिल्लू जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 365 रकबा 1.00 है0 तथा ख0 न0 366 रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी आवंटित किया गया था। भू अभिलेख निरीक्षक भू.अ. निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 14.01.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है तथा मौके पर भूमि पर खनन कार्य हो चुका है । एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 – 79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 365 रकबा 1.00 है0 तथा ख0 न0 366 रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 06/06/2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूँगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बिलोली नदी के आराजी खसरा नम्बर 365 रकबा 1.00 है0 तथा ख0 न0 366 रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 1.27 है0 को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 18/5/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर